संख्याः शिक्षा–11–ख(13) 2/2002–लू0
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

दिनांकः शिमला–2, 2011

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभागों में कार्यरत अनुबन्ध अध्यापकों, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों तथा पैरा अध्यापकों को अवकाश अवधि का वेतन देने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभागों में कार्यरत अनुबन्ध प्रवक्ता (कालेज/स्कूल), अनुबन्ध अध्यापकों, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों तथा पैरा अध्यापकों को अवकाश अवधि का वेतन देने का मामला सरकार के विचाराधीन था। अतः अब सरकार ने विचारोपरान्त उक्त अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र, 2011–2012 से अवकाश अवधि का वेतन देने का निर्णय लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में तुरन्त आगामी कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

/

अवर सचिव (प्रार0शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

SO(Fin-C) 21/4

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2, 18-4–2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2 को मन्त्री मण्डल की बैठक दिनांक 8.4.2011 की मद संख्या 15 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
2. अतिरिक्त सचिव (शिक्षा), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
3. उप सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2 को उनके दैनिकी संख्या 51746634 फिन.(सी) बी (15) 12/2010 दिनांक 22–03–2011 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. सम्बन्धित सहायक, शिक्षा–सी अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/4

अवर सचिव (प्रार0शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Rep